भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0 ई0 आर वाद संख्या 04/2014.2015

(1)अंचल अधिकारी गोड्डा

(2)परिजात कुमार श्रीवास्तव –वादी

वनाम्

विनय कुमार राय–प्रतिवादी

–:आदेश:–

04.02.23

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख वद्व कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान प्रक्रिया अंचल अधिकारी के पत्रांक 706/रा0 दिनांक 16.10.2014 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी गोड्डा ने उल्लेख किया है कि मौजा गोढ़ीमाल थाना न0 503 जमावंदी न0 50 के दाग न0 234 रकवा 00–01–00 धूर भूमि से संथाल प्र0 काश्त कारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उक्त जमीन से विजय कुमार राय पे0 राम नरेश राय साकिन सत्य नगर गोड्डा को उच्छेद करने के लिये लाया गया है।

अंचल अधिकारी गोड्डा ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से मकान बना हुआ है एवं चहार दिवारी किया हुआ है। प्रश्नगत जमीन का जमावंदी रैयत महादेव प्रसाद मजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मजुमदार है उपरोक्त बाद में विपक्षी को उपस्थित हेतु नोटिश निर्गत किया गया है। जिसके आधार पर विपक्षी विनय कुमार राय इस वाद में उपस्थित होकर आवेदन एवं सवंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए। आवेदक का विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त प्रश्नगत जमीन मौजा गोढ़ीमाल जमावंदी 50 दाग न0 234 को अन्दर रकवा 00–01–00 धूर जमीन विपक्षी की पत्नी श्रीमति नीताराय के दादा मेदनी सिंह को वसोवास हेतु वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा के द्वारा जमावंदी रैयत की पुत्री रानीवाला देवी के द्वारा कुर्फा से वन्दोवस्त कर दिया है। एवं उनके सहमति से उक्त जमीन पर विपक्षी की पत्नी के दादा के द्वारा मकान का निमार्ण किया गया है।

विपक्षी का यह भी कथन है कि उक्त जमीन के वन्दोवस्त दार श्री मेंदनी सिंह अपनी पोती नीताराय जो विपक्षी विजय कुमार राय की पत्नी है उनके परिवारिक समझौता के तहत दिए है, विपक्षी का विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त जमीन पर वर्ष 1936 ई0 से ही उनका तथा उनके पूर्वज का मकान बना हुआ है। जिसमें सपरिवार

बसोबास करते चले आ रहे है, उक्त मकान का गोड्डा नगर परिषद से होलडिंग टेक्स आदा कर रसीद प्राप्त कर रहे है। उक्त मकान में उनके नाम बिजली कनेक्सन और बिजली भुगतान कर बिजली बिल प्राप्त कर रहे है, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उनके एवं उक्त जमीन पर दखल एवं मकान के संबंध में जमाबंदी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बनाया गया शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें जमाबंदी रैयत के वारिशान शपथकर्त्ता द्वारा यह भी बात स्वीकार किया गया है कि विपक्षी के पूर्वज को उक्ज जमीन कुर्फा के आधार पर दिया गया है जिसमें विपक्षी का मकान है जिसमें सपरिवार बसोबास करते चले आ रहे है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जमीन का स्वरूप कृषि योग्न नही रह गया है।

उसका स्वरूप बसौढ़ी हो गया है और मकान वाली जमीन पर संथान परगना काशतकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागु नहीं हो सकता है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में यह भी कथन है कि जमाबंदी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव द्वारा श्रीमान के यहां लंबित आर0ई0आर0 वाद संख्या–04/2014–2015 को प्रश्नगत जमाबंदी संख्या–50 के इसी दाग नं0–49 पर सरिता देवी, पति–गणेश पंडित का मकान बने अवस्थित होने के कारण आर0ई0आर0 वाद संख्या–01/2014–2015 को वापस लेने का आवेदन दिया है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत के वारिशनों को विपक्षी का उक्त प्रश्नगत जमीन पर मकान बने रहने से और बसोबास करने से उनकी सहमति है, और बसोबास करने से उनको कोई आपत्ति नही है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा श्रीमान उपायुक्त महोदय गोड्डा का न्यायालय का R.M.A No.-13/2017-2018 भवानी देवी बनाम परिजात कुमार श्रीवास्तव के आदेश में पारित आदेश दिनांक–03/11/2021 का अभि प्रमाणित प्रति का छायाप्रति समर्पित करते हुए कहा कि प्रश्नगत जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–49 पर में इसी तरह के मामले में श्रीमान उपायुक्त महोदय गोड्डा द्वारा मकान बने रहने के कारण उक्त जमीन से अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा द्वारा उच्छेदी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता भवानी देवी का अपील को स्वीकृत किया है। एवं उनके दखल कब्जा को बरकरार रखा है इस वाद में सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर कहा है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से दखल एवं मकान बना हुआ है प्रश्नगत जमीन के जमांबदी रैयत नहीं है इस लिए विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत नहीं होगा।

16

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेख बद्ध कागजातो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा गोढ़ीमाल थाना नं0–503 जमाबंदी नं0–50 गत सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में महादेव प्रसाद मजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मजुमदार के नाम से दर्ज है।

विपक्षी के द्वारा उक्त जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–234 रकवा–00–01–00 धूर जमीन विपक्षी के पत्नी नीताराय के दादा मेदनी सिंह को कुर्फा से प्राप्त हुआ है एवं जिसे जमाबन्दी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव अपने शपथ पत्र संख्या 16891 दिनांक–28–11–2001 द्वारा स्वीकार किया है। कि विपक्षी के पूर्वज को प्रश्नगत जमीन वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा से प्राप्त हुआ है एवं कुर्फा के आधार पर प्रश्नगत जमीन विपक्षी का पूर्वज के समय से ही मकान बनाकर निवास कर रहे है।

अंचल अधिकारी गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर विपक्षी का मकान एवं चाहार दिवारी के साथ दखल कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी गोड्डा को भेजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया

04.2.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

04.2.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 14:06:02 +05:30
Location: 192.168.29.124